कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद फतेहपुर

प्रेस- नोट, जनपद फतेहपुर

दिनांक 12.07.2026

"थाना मलवां पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रांतर्गत हुई चोरी घटनाओं का अनावरण करते दो शातिर अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे चोरी का माल मशरूका बरामद।"

घटना का संक्षिप्त विवरणः दिनांक 21.06.2026 को वादी गौरव शुक्ला पुत्र धनेश शुक्ला निवासी ग्राम कांधी, थाना मलवां, जनपद फतेहपुर द्वारा थाना मलवां पर तहरीर देकर अवगत कराया गया कि दिनांक 19/20.06.2026 की रात्रि अज्ञात चोरों द्वारा उनके तथा उनके चाचा महेश शुक्ला पुत्र प्रेमचन्द्र के गांव के बाहर स्थित नलकूपों से स्टार्टर चोरी कर लिए गए। साथ ही लगभग 500 मीटर की दूरी पर स्थित सज्जन पुत्र स्व. रामसजीवन पटेल एवं बेनी माधव पुत्र स्व. रामपाल पटेल, निवासीगण ग्राम लिलम्बरपुर तथा रामकरन पुत्र बुद्धा निवासी ग्राम कांधी के नलकूपों से भी स्टार्टर चोरी कर लिए गए। काफी खोजबीन के उपरांत भी चोरी गए सामान का कोई सुराग नहीं लग सका। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मलवां पर मु0अ0सं0 128/2026, धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

इसी क्रम में दिनांक 09.07.2026 को वादी जानेन्द्र कुमार पुत्र रामकिशोर प्रजापति निवासी ग्राम मंझूपुर, थाना मलवां, जनपद फतेहपुर द्वारा थाना मलवां पर तहरीर देकर अवगत कराया गया कि दिनांक 09.07.2026 की रात्रि अज्ञात चोरों द्वारा उनके खेत में स्थित नलकूप से एक स्टार्टर एवं लगभग 15 मीटर कॉपर केबल चोरी कर ली गई। साथ ही निकट स्थित राजेन्द्र पटेल पुत्र रामबाबू के नलकूप से एक स्टार्टर एवं लगभग 100 मीटर कॉपर केबल तथा राजकुमार पटेल पुत्र ननका के नलकूप का ताला तोड़कर एक स्टार्टर चोरी कर लिया गया। इसके अतिरिक्त अशोक पुत्र भिक्कूलाल निवासी चितौरा के नलकूप से भी एक स्टार्टर एवं लगभग 50 मीटर कॉपर केबल काटकर चोरी कर ली गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मलवां पर मु0अ0सं0 150/2026, धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरणः- श्री अभिमन्यु मांगलिक, पुलिस अधीक्षक फतेहपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, अपर पुलिस अधीक्षक के पर्यवेक्षण तथा क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना मलवां पुलिस द्वारा दिनांक 12.07.2026 को

विवेचनामत्क कार्यवाही के दौरान उपरोक्त अभियोगों से संबंधित प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. अभियुक्त संदीप उर्फ रिंकू पुत्र रामनरेश उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम उदयराजपुर थाना मलवां जनपद फतेहपुर, 2. श्रीकेशन पुत्र पराग उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम मदारीपुर मजरे सराय खरगू थाना मलवां जनपद फतेहपुर को गिरफ्तार किया गया, कब्जे से 1. दो अदद स्टार्टर, 2. 1000 रूपया नगद बरामद । बरामदगी के आधार पर थाना मलवां पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोगों में धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर गिरफ्तार अभियुक्तों को आवश्यक विधिक एवं विवेचनात्मक कार्यवाही पूर्ण कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पताः-

1. अभियुक्त संदीप उर्फ रिंकू पुत्र रामनरेश उम्र करीब 35 वर्ष निवासी ग्राम उदयराजपुर थाना मलवां जनपद फतेहपुर ।
2. श्रीकेशन पुत्र पराग उम्र करीब 30 वर्ष निवासी ग्राम मदारीपुर मजरे सराय खरगू थाना मलवां जनपद फतेहपुर ।

बरामदगी का विवरण-

1. दो अदद स्टार्टर

2. 1000 रूपया नगद

गिरफ्तार अभियुक्त संदीप उर्फ रिंकू का आपराधिक इतिहासः-–

1.मु0अ0सं0 128/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना मलवां जनपद फतेहपुर

2. मु0अ0सं0 150/2026 धारा 305(a),331(4),317(2) BNS थाना मलवां जनपद फतेहपुर

गिरफ्तार अभियुक्त श्रीकेशन का आपराधिक इतिहासः-–

1. मु0अ0सं0 240/2025 धारा 74 बीएनएस व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना मलवां जनपद फतेहपुर

2. मु0अ0सं0 252/2025 धारा 305(a),331(4),317(2) BNS थाना मलवां जनपद फतेहपुर

3. मु0अ0सं0 128/2026 धारा 303(2), 317(2) बीएनएस थाना मलवां जनपद फतेहपुर

4. मु0अ0सं0 150/2026 धारा 305(a),331(4),317(2) BNS थाना मलवां जनपद फतेहपुर

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. वरि0उ0नि0 मनोज कुमार यादव थाना मलवां जनपद फतेहपुर

2. रि0का0 संदीप

3. रि0का0 रोहित

सोशल मीडिया सेल
जनपद फतेहपुर